ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर, दरभंगा–846004

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय परिसर स्थित कीमती लकड़ी महोगनी सहित अन्य किस्म के सुखे, कटे, खड़े एवं गिरे वृक्षों/डालियों तथा जलावन की लकड़ी (जहॉ जैसे है वैसे) की नीलामी दिनांक 30.05.2023 को अपराह्न 1:00 बजे अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालीय कक्ष में क्रय–विक्रय उप–समिति की बैठक के समक्ष आम (खुला) डाक के माध्यम से की जाएगी।

इच्छुक व्यक्ति डाक में भाग लेकर निम्नांकित शर्त्ताधीन संलग्न सूची में अंकित वृक्षों/डालियों तथा जलावन की लकड़ियों की नीलामी प्राप्त कर सकते है।

1. नीलामी सूचना के साथ संलग्न सूची में विश्वविद्यालय परिसर स्थित महोगनी सहित अन्य किस्मों के सुखे, कटे, खड़े एवं गिरे वृक्षों/डालियों का मूल्य 4,22,450/– रु0 (जलावन की लकड़ियों को छोड़कर) निर्धारित की गई है।
2. डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को आवेदन एवं आधार कार्ड के साथ बन्द सील लिफाफा में 51,000/–(इक्यावन हजार) रुपये का ड्राफ्ट रजिस्ट्रार, ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के नाम सुरक्षा धन के रूप में दिनांक 07.05.2023 से लेकर 27.05.2023 तक जमा कर सकते है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. नीलामी प्राप्त करने हेतु न्यूनतम मूल्य 4,22,450/–(चार लाख बाईस हजार चार सौ पचास) रु0 से अधिक को बोली लगाने होगी। सबसे उच्चतम बोली लगाने वाले डाक वक्ता को ही लकड़ी की नीलामी की जाएगी। उच्चतम् बोली गई राशि पर क्रेता को सेस कर 3%, सी0जी0एस0टी0 9% एस0जी0एस0टी0 9% आयकर 1.875% अलग से देना होगा।
4. उच्चतम्/सफल डाक वक्ता को महोगनी सहित अन्य किस्मों के सुखे, कटे, खड़े एवं गिरे वृक्षों/डालियों के साथ जलावन की लकड़ी भी 300 रु0 प्रति क्विटल की दर से क्रय करना होगा। जलावन की लकड़ी के क्रय मूल्य पर भी सेस कर 3%, सी0जी0एस0टी0 9% एस0जी0एस0टी0 9% आयकर 1.875% देना होगा। उच्चतम् एवं सफल डाक वक्ता को वृक्षों/डालियों की नीलामी घोषणा होने के उपरान्त तीन घंटा के अन्दर उच्चतम् डाक बोली का 20% राशि (सुरक्षा धन राशि छोड़कर) विश्वविद्यालय कोष में जमा करना अनिवार्य होगा। शेष राशि एक सत्पाह के अन्दर विश्वविद्यालय कोष में जमा करना अनिवार्य होगा। सम्पूर्ण राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा होने के उपरान्त ही लकड़ी की उठाव की अनुमति प्रदान की जाएगी। अग्रधन/सुरक्षा धन राशि सम्पूर्ण लकड़ी उठाव के उपरान्त ही वापसी योग्य होगा।
5. नीलामी वृक्षों/डालियों को काटकर/उठाकर ले जाने के क्रम में यदि विश्वविद्यालय की परिसम्पत्ति की क्षति होती है तो उसकी भरपाई स्वयं संवेदक को निजी स्तर पर करनी होगी। साथ ही नीलाम वृक्षों को काटकर ले जाने से पूर्व बने गडढे को भरकर समतल करने की जबावदेही उच्चतम् डाक वक्ता की ही होगी।

6. डाक में भाग लेने के पूर्व इच्छुक व्यक्ति सूची के अनुसार वृक्षों/डालियों एवं जलावन की लकड़ियों का निरीक्षण कर ले। इसके बाद ही आम डाक में शामिल हो।
7. नीलाम लकड़ियों के उठाव के समय सुरक्षा सुपरवाईजर एवं भू–सम्पदा विभाग के एक कर्मी की उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।
8. उच्चतम्/सफल डाक वक्ता को वृक्षों/डालियों की नीलामी घोषणा होने के उपरान्त तीन महिने में ही उठाव कर लेना अनिवार्य है, नहीं उठाव करते है तो उच्चतम् डाक वक्ता को उच्चतम् बोली का 5% राशि सुरक्षा धन राशि छोड़कर दण्ड स्वरूप वसुल किया जाएगा।

अद्योहस्ताक्षरी को किसी भी समय बिना कारण बताये इस नीलामी को स्थगित/निरस्त करने का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।

ह0/–
भ–सम्पदा पदाधिकारी
दिनांकः 04/05/2023

ज्ञापांकः Est. 4198-4205/23

प्रतिलिपि प्रेषित

(1) **इच्छुक व्यक्तियों को..........**
(2) **स्थानीय सभी सरकारी संस्थाओं को**
(3) **अंचलाधिकारी,** सदर दरभंगा।
(4) **नगर आयुक्त,** नगर निगम, दरभंगा।
(5) **डाक प्रशिक्षण केन्द्र,** भारत सरकार, बेला मोड़, दरभंगा।
(6) **विकास पदाधिकारी,** ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को इस आशय का पत्र कि नीलामी की सूचना के साथ संलग्न सूची के साथ विश्वविद्यालय के बेवसाईट WWW.lnmu.ac.in पर अपलोड किया जाय।
(7) **कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,** ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा को सूचनांर्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ ।

3/5/23

भू–सम्पदा पदाधिकारी

3/5/23

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर, दरभंगा–846004

निविदा आमंत्रण सूचना

निदेशानुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय के मोतीमहल परिसर स्थित तालाब के पश्चिमी भिण्डा पर अवस्थित बड़ी कैंटीन तथा उत्तरी भिण्डा पर अवस्थित छोटी कैंटीन के मकान 3 (तीन) वर्षो के लिए आवंटन यथा 01 जुलाई 2023 से 30 जून 2026 तक के लिए दिनांक 02.06. 2023 को अपराहन् 1:00 बजे अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालीय कक्ष में क्रय–विक्रय उपसमिति के समक्ष आम (खुला) डाक के माध्यम से किया जाएगा।

इच्छुक व्यक्ति उपर्युक्त डाक में निम्नलिखित शर्त्तो के आधार पर भाग लेकर कैंटीन भवन का आवंटन प्राप्त कर सकते है।

1. डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को आवेदन एवं आधार कार्ड के साथ बन्द सील लिफाफा में बड़ी कैंटीन 100,000/–(एक लाख) रु0 तथा छोटी कैंटीन 25000/–(पचीस हजार) रु0 का बैंक ड्राफ्ट रजिस्ट्रार, ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के नाम सुरक्षा धन के रूप में दिनांक 07.05. 2023 से लेकर 30.05.2023 तक जमा कर सकते है। यदि कोई इच्छुक व्यक्ति दोनो कैंटीन के डाक में भाग लेना चाहते है तो उन्हें अलग–अलग आवेदन देना होगा। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं कियाँ जाएगा।
2. डाक वक्ता को निर्धारित न्यूनतम मूल्य बड़ी कैंटीन 63800/–(तिरसठ हजार आठ सौ) रु0 तथा छोटी कैंटीन 6050/–(छः हजार पचास) रु0 प्रतिमाह की दर से अधिक की बोली लगानी होगी।
3. आवंटन में सफल डाक वक्ता के नाम से कैंटीन अगले तीन वर्षों यथा 01 जुलाई 2023 से 30 जून 2026 तक के लिए आवंटित की जाएगी। चयनित अधिकतम डाक वक्ता को कैंटीन की तीन महिने की किराये की राशि एक मुश्त आवंटन चयन पत्र के निर्गमन के एक सप्ताह के अन्दर विश्वविद्यालय कोष में जमा करना अनिवार्य होगा। प्रथम चयनित डाक वक्ता को निर्धारित अवधि में आवंटन की पूरी राशि जमा नहीं करने की स्थिति में सुरक्षाधन के रूप में जमा राशि को जब्त करते हुए द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले चयनित डाक वक्ता को मौका दिया जाएगा। द्वितीय डाक वक्ता भी पूरी राशि जमा करने में असफल होते है तो तृतीय डाक वक्ता के साथ आवंटन में यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। प्रथम चयनित तीन डाक वक्ताओं को छोड़कर अन्य सभी डाक वक्ताओं के द्वारा अग्रधन/सुरक्षा धन की राशि वापसी योग्य होगा।
4. आवंटन में सफल डाक वक्ता को कैंटीन भवन का किराया प्रतिमाह, माह के प्रथम तिथि को ही विश्वविद्यालय कोष में जमा करना अनिर्वाय होगा।

5. कैंटीन भवन में मादक पदार्थ धुम्रपान आदि निषेद्य सामानो को विक्री पर सख्त प्रतिबन्ध रहेगा।
6. प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी कारणों से होने वाली क्षतिपूर्ति विश्वविद्यालय स्तर से अनुमान्य नहीं होगा।
7. इस आवंटन के साथ संवेदक को निजी व्यय पर एकरारनामा करना होगा जिसके साथ संवेदक का स्थायी पता संबंधी शपथ पत्र (एफिडेफिट) तथा उसका पासर्पोट साईज का फोटोग्राफ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. विधि–व्यवस्था एवं कैंटीन भवन की पूर्णरूपेण सुरक्षा की जवाबदेही स्वंय संवेदक को होगा।
9. छात्रों को रियायती दर पर अल्पाहार एवं भोजन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

अद्योहस्ताक्षरी को किसी भी समय बिना कारण बताये इस आवंटन को स्थगित/निरस्त करने का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।

विश्वासभाजन
ह0/–
भू–सम्पदा पदाधिकारी

ज्ञापांक : Est. 4190-97/23
दिनांक: 04/05/2023

प्रतिलिपि प्रेषित :–

(1) **इच्छुक व्यक्तियों को.....**
(2) **सार्वजनिक स्थलों** पर चिपकाने में,
(3) **नगर निगम**, दरभंगा।
(4) **अंचलाधिकारी**, सदर दरभंगा।
(5) **जिला पदाधिकारी**, दरभंगा।
(6) **विकास पदाधिकारी**, ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को इस आशय का पत्र कि सूचना को विश्वविद्यालय के बेवसाइट पर अपलोड की जाय।
(7) **कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक**, ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

3/5/23
भू–सम्पदा पदाधिकारी